

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

E-mail id -- deobalodabazar12@gmail.com

क्रमांक/मान्यता /2024
प्रति,

3268

बलौदाबाजार दिनांक 29-04-2024

द आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल रावन (सिमगा)

अस्थाई मान्यता सत्र 2024-25

ग्रासीम सीमेंट जनसेवा ट्रस्ट रावन

मान्यता क्रमांक -- 173/326

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

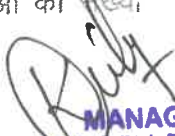
—000—

महोदय/महोदया

आपका आवेदन पत्र दिनांक 23/02/2024 के सदर्थ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार /निरीक्षण के उपरान्त द आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल रावन (सिमगा) (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक (माध्यम-अंग्रेजी) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधिन शैक्षणिक सत्र 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(परिशिष्ट -एक) और निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009(परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
01 प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
02 किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
03 प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
04 प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
05 अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
06 अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।
07 अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
08 अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-
01 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
02 खेल के मैदान का क्षेत्रफल
03 कक्षाओं की संख्या


MANAGER
THE ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
P.O. GRASIM VIHAR, RAWAN-493196
Distt Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)


PRINCIPAL
THE ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
GRASIM VIHAR, RAWAN
BALODA BAZAR-BHATAPARA, C.G. 493196

- 04 प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष
- 05 बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- 06 पेयजल सुविधा
- 07 मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई
- 08 बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता वर्षान्त तक अनिवार्यतः पूर्ण करना।

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 173/326 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और ससूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. अनिवार्य रूप से आनलाईन या मोहल्ला कक्षा लगाया जाना सुनिश्चित की जाए।
18. अन्य शर्तें।
 - विद्यालय फीस विनियम समिति की अनुसंशा पर फीस निर्धारित करने की शर्तें पर सशर्त मान्यता प्रदान की जाती है।
 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रवेशित छात्रों का आनलाईन प्रविष्टि व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों को बाधारहित अध्यापन, हितग्राही छात्रों को छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण-पत्र व आधार नम्बर, सूचना के अधिकार, रेडकास, स्काउट-गाईड, खेलकूद आदि सहगामी क्रियाकलाप, स्कूल में चलने वाली वाहन यथा बस आदि नियमों के अधिन संचालित होने के शर्तों के आधार पर अस्थाई मान्यता दी जाती है।

नोट:- उपरोक्त शर्तों के पालन किए जाने के अधिन/आधार पर अस्थायी मान्यता दी जा रही है।

पृ.क./मान्यता /2024 3269
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. का सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
5. संबंधित सहायक नोडल अधिकारी (आर.टी.ई.) को सूचनार्थ।


MANAGER
THE ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
P.O. GRASIM VIHAR, RAWAN-493196
Distt Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)


जिला शिक्षा अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
बलौदाबाजार दिनांक 29/04/2024


जिला शिक्षा अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)


PRINCIPAL
THE ADITYA BIRLA PUBLIC SCHOOL
GRASIM VIHAR, RAWAN
BALODA BAZAR-BHATAPARA, C.G. 493196